"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी 2020 — पौष 20, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 10 जनवरी 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–21/2019/18.— छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 37 तथा धारा 73 सहपठित धारा 433 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 70 तथा 110 सहपठित धारा 355 तथा 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका (मेयर–इन–काउंसिल/ प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में;–

नियम 5 में, उप–नियम (1) में, खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(1) नगरपालिक निगम की स्थिति में–

तालिका

स. क्र.	प्राधिकारी	जनसंख्या		
		दस लाख से अधिक	तीन लाख से अधिक किन्तु दस लाख से अनधिक	तीन लाख तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नगरपालिक आयुक्त	रूपये 75 लाख तक	रूपये 50 लाख तक	रूपये 25 लाख तक
2.	मेयर–इन–काउंसिल	रूपये 75 लाख से अधिक किन्तु रूपये 3 करोड़ से अनधिक	रूपये 50 लाख से अधिक किन्तु रूपये 1.50 करोड़ से अनधिक	रूपये 25 लाख से अधिक किन्तु रूपये 1 करोड़ से अनधिक
3.	निगम	रूपये 3 करोड़ से अधिक किन्तु रूपये 5 करोड़ से अनधिक	रूपये 1.50 करोड़ से अधिक किन्तु 5 करोड़ से अनधिक	रूपये 1 करोड़ से अधिक किन्तु रूपये 3 करोड़ से अनधिक।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., सचिव.

अटल नगर, दिनांक 10 जनवरी 2020

क्रमांक एफ 5–21/2019/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 5–21/2019/18 दिनांक 10–01–2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., सचिव.

Atal Nagar, the 10th January 2020

NOTIFICATION

No. F 5-21/2019/18.— In exercise of the powers conferred by Section 37 and Section 73 read with Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), and Section 70 and 110 read with Section 355 and 356 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Municipalities (The Conduct of Business of the Mayor-in-Council /President-in-Council and the Powers and Functions of the Authorities) Rules, 1998, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In rule 5, in sub-rule (1), for clause (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) In the case of Municipal Corporation-

TABLE

Sl. No.	Authority	Population		
		More than ten lacs	More than three lacs but not more than ten lacs	Up to three lacs
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Municipal Commissioner	Up to Rs. 75 lacs.	Up to Rs. 50 lacs.	Up to Rs. 25 lacs.
2.	Mayor-in-Council	Over Rs. 75 lacs but not more than Rs. 3 crores.	Over Rs. 50 lacs but not more than Rs. 1.50 crores.	Over Rs. 25 lacs but not more than Rs.1 crore.
3.	Corporation	Over Rs. 3 crores but not more than Rs. 5 crores.	Over Rs. 1.50 crores but not more than Rs. 5 crores.	Over Rs. 1 crore but not more than Rs. 3 crores."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ALARMELMANGAI D., Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.